राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/सड़क गोपालपुरा नाडाफला प्रतापगढ/20–21/16421-31 दि. 29.6.2021

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ़।

विषय— बी.टी.सड़क निर्माण कार्य गोपालपुरा वाया नाडाफला कि.मी. 0/0 से 3/0 तक पं.स. धरियावद की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग— विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 10271–79 दिनांक 23.02.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्रावली के पैरा 14/एन पर अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित सडक निर्माण की सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड धरियावद से तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से राशि रू. 114.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है —

कार्यकारी एजेन्सी — सार्वजनिक निर्माण विभाग (राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	पंस.	तकनीकी स्वीकृति		0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में	प्रथम किश्त
			क्र/दि	राशि		
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बी.टी.सड़क निर्माण कार्य गोपालपुरा वाया नाडाफला कि.मी. 0/0 से 3/0 तक पं.स. धरियावद	धरियावद	14/26.08.19	114.67	0.25	उपायुक्त टीएडी प्रतापगढ में 75.50 लाख रू. उपलब्ध बचत राशि

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय उपायुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,प्रतापगढ़ के पास निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 1 में अंकित कार्यो हेतु जारी स्वीकृतियों की उपलब्ध बचत राशि 75.50 लाख प्रथम किश्त देय राशि कॉलम संख्या 5 में अंकित अनुसार होगा।

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	पत्र क. /दिनांक	स्वीकृत राशि	शेष उपलब्ध राशि	देय राशि (प्रथम किश्त)
0	1	2	3	4	5
1	सडक निर्माण सिंगपुरा विद्यालय से गौतमेश्वर धाम तक 4.40 कि.मी.	6020-28/19.2.18	259.06	12.87	12.87
2	चाचा कोटा से माही डेम तक सडक निर्माण	22035-44/23.6.18	261.00	62.09	62.09
3	सी.सी. सडक एवं खरंजा निर्माण रूपारेल से सकरवट तक	43631-45/29.11.19	15.00	0.50	0.50
4	नवागॉव वडलीपाडा सडक कि.मी. 02 से कालटिया भैरवजी बावजी मंदिर तक	8892-30/03.2.17	183.17	0.04	0.04
	योग			75.50	75.50

विभागीय आदेश परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टीजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में निरीक्षण एवं वाहन हेतु आरक्षित रखने के कम में उपरोक्त कार्य की द्वितीय किश्त हस्तांतरित करते समय 0.25 लाख जमा कर देय होगी।

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब–साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

(प्रज्ञा केवलरमानी)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/सड़क गोपालपुरा नाडाफला प्रतापगढ/20–21/16421-31 दि. 29/6/2021

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता,(जोन द्वितीय) सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाडा ।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत प्रतापगढ को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड द्वितीय धरियावद भेजकर लेख है कि कृपया कार्यो का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा ।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in ,Website www.tad.rajasthan.gov.in